

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04] No. 04] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/PAUSA 15, 1937

#### ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2016

सं. बीईई /एस एण्ड एल/वॉटर हीटर/3 - कितपय विनियमों का निम्निलिखित प्रारूप, जिन्हें ब्यूरो केन्द सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (i) के साथ पिठत धारा 14 के खण्ड (घ) और धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा यथा: अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और वह सूचना दी जाती है कि उक्त प्ररूप विनियमों पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिससे यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम, सैकटर-1, नई दिल्ली-110066 को संबोधित किए जा सकेंगे।

ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो किसी व्यक्ति से उक्त विनियमों के प्ररूप की बाबत उपर्युक्त अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त हो, ब्यूरो द्वारा विचार किया जाएगा।

#### विनियमों का प्रारूप

- 1. लघु शीर्षक और आरंभ: -(1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (पानी के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति), विनियम, 2016 कहा है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - परिभाषा (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है;

49 GI/2016 (1)

- (ख) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ परिशिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ग) "लेबल" से पानी के हीटर पर चिपकाया गया अथवा प्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;
- (घ) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा हानि मानक के अधीन स्थायी हानि की विधिमान्यता अवधि से है और यदि स्थायी हानि की विधिमान्यता की अवधि की अंतिम अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, इस अवधि को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नए मूल्यों तक विधिमान्य मानी जाएगी;
- (ङ) "मॉडल अथवा मॉडलों के परिवार" से किसी विशिष्ट ब्राण्ड का मॉडल या मॉडलों की श्रेणी है जिसके संबंध में परीक्षण रिपोर्टों का एकल समुच्चय लागू है और जहां प्रत्येक मॉडल के समान भौतिक लक्षण, स्थायी हानि, ऊर्जा कुशलता स्तर और निष्पादन विशिष्टताएं समान अभिप्रेत हैं;
- (च) "अनुज्ञाधारक" से ऐसे व्यक्ति या ऐसी अभिकरण से है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई अभिप्रेत है;
- (छ) "स्टार रेटिंग अथवा स्टार स्तर" से अभिप्रेत है जो पानी के हीटर की स्थायी हानि को दर्शाने के लिए अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत भंडार पानी के हीटरों के लेबल पर प्रदर्शित स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. / 24 घंटे / 45 डिग्री से.) के ग्रेड से है;
- (ज) लेबल लगे पानी के हीटर के संबंध में "व्यापारी अथवा विक्रेता" से उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जो ऐसे पानी के हीटर की बिक्री अथवा वितरण करता है और इसमें ऐसे दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और पानी के हीटर पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमित प्राप्त अनुज्ञाधारक सिम्मिलित हैं।
- (झ) "पानी के हीटर" से अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट साधित्र है;
- (2) यहां इसमें प्रयुक्त जो शब्द और अभिव्यक्तियां अपरिभाषित हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका अधिनियम में उन्हें क्रमश: दिया गया अर्थ ही होगा।
- **3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाली विशिष्टियां।** (1) प्रत्येक पानी के हीटर पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्:-
  - (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;
  - (ख) उपकरण;
  - (ग) ब्रांड का नाम;
  - (घ) विनिर्माण अथवा आयात का मॉडल का नाम / संख्या / वर्ष;
  - (ङ) रेटेड क्षमता (लीटर);
  - (च) रेटेड इनपुट पावर (कि. वॉ.) (वास्तविक जांच)
  - (छ) स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. / 24 घंटे / 45 डिग्री से.);
  - (ज) लेबल की अवधि;
  - (झ) स्टार स्तर; और
  - (ञ) विशेष श्रृंखला कोड;

- (2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और अंतर्विष्ट इन विनियमों के साथ उपांबध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।
- 4. **लेबलों के संप्रदर्शन के लिए समय-सीमा:** (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला लेबल इन विनियमनों के लागू होने की तारीख से छह मास की अविध के भीतर प्रत्येक पानी के हीटर पर प्रदर्शित किया जाएगा।
  - (2) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन लागू संशोधित ऊर्जा हानि मानकों के प्रारंभ होने पर और प्रारंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञाधारक या व्यापारी या विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि- –
  - क) बाजार में स्टार स्तर को प्रदर्शित करने वाले पूर्व -संशोधित लेबल वाले पानी के हीटर का उपलब्ध भंडार पूरी तरह समाप्त हो गया है अथवा इस पर पुन :संशोधित लेबल लगाए गए हैं अथवा उस तारीख से पहले बाजार से वापस ले लिया गया है जिस तारीख को संशोधित स्टार स्तर लागू हुआ है;
  - ख) बिक्री के लिए रखे गए पानी के हीटर संशोधित ऊर्जा हानि मानकों के साथ समक्रमण कर संशोधित स्टार स्तर और संशोधित लेबल अवधि भी प्रदर्शित करेंगे और ऐसे प्रारंभ से तीन मास पूर्व संशोधित लेबल शुरू किए जाएं।
  - ग) व्यौहारी, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनकी जागरूकता के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक उपाय इन विनियमों के अधीन ऐसे प्रारंभ की तारीख से छह माह पूर्व नियोजित किए जाएंगे।
    - (3) जहां अनुज्ञाधारक उप विनियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, अपने नियंत्रण से परे बाजार की पस्थितियों के अनुसार, और जहां यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं कि उपभोक्ता के लिए उप विनियम (2) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट बिजली वाले पानी के हीटर के बीच होने वाली स्थायी हानि के आधार पर विकल्प चुनना कठिन होगा, अनुज्ञाधारक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन सिहत सुसंगत अनुसूची में दिखाई गई डिजाइन के अनुसार हरे रंग में लेबल पर विनियम 3 के उप विनियम (1) खंड (छ) में निर्दिष्ट स्थायी हानि प्रदर्शित करेगा ताकि उप विनियम (2) के खंड (क) और (ख) में संदर्भित लेखन सामग्री भण्डारण प्रकार इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के बीच सुभिन्न किया जा सके।
- 5. **लेबल प्रदर्शित करने की** रीति -(1) इकाई के सामने वाले सम्प्रदर्श पर लेबल लगाया जाएगा और यह विनियम 3 के उपविनियम (2) में सरलता से दिखाई देना चाहिए और अनुज्ञाधारक सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत इकाई या मॉडल पर पहचान के प्रयोजन के लिए सम्प्रदर्श में लेबल बिक्री या किराए के बिंदु पर दिखाई देता है और यह लेबल इकाई या मॉडल सहित केसिंग के बाहर मुद्रित या चिपकाया गया होगा।
- (2) प्रदर्शित नहीं की गई इकाइयों के लिए लेबल इकाई या मॉडल सिहत केसिंग के बाहर मुद्रित या चिपकाया जाए और यह लेबल इकाई या मॉडल पर लगाया जाए, जब इकाई या मॉडल को इसकी पैकिंग से बाहर निकाला जाता है या लेबल को ग्राहक या प्रयोक्ता को दिए जाने वाले दस्तावेज के भाग के रूप में सम्मिलित किया जाए।
- 6. **लेबल संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा-**(1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा के बिना इलेक्ट्रिक पानी के हीटर पर कोई स्टार नहीं चिपकाया जाएगा।
- (2) उप- विनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा लेने के प्रयोजन के लिए, आवेदन प्ररूप । में और इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में किया जाएगा:

परंतु पानी के हीटर के प्रत्येक मॉडल के परिवार के लिए पृथक आवेदन किया जाए;

- (3) उप- विनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन- पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे
  - (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में दो हजार रुपए का आवेदन फीस अथवा भुगतान के किसी प्रतिग्राहय इलेक्ट्रॉनिक ढंग में देय होगा;
  - (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में देय एक लाख रुपए की लेबल जमानत राशि; मांग पत्र या भुगतान के किसी प्रतिग्राहय इलेक्ट्रॉनिक ढंग में:

परंतु, लघु उद्योग के मामले में, जमानत राशि केवल पच्चीस हजार रुपए होगी-; और

- (ग) यथा: विनिर्दिष्ट दस्तावेज;
- 7. **अनुज्ञा प्रदान करना-** (1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इससे संतुष्ट होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अविध के भीतर, विनियम 8 में यथा: विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन सीधे ठंडे प्रशीतक पर प्ररूप-2 अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।
  - (2) ब्यूरो, प्ररूप 3 में रजिस्टर बनाकर रखेगा और इसमें अनुज्ञाधारक के नाम प्रविष्ट करेगा;
  - (3) ब्यूरो द्वारा प्ररूप -3 में एक डेटा बेस का अनुरक्षण किया जाएगा और अपेक्षित ब्यौरे भी डाले जाएंगे।
- (4) उप- विनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि तक विधिमान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन यथा: अधिसूचित ऊर्जा हानि मानक द्वारा स्टार स्तर के लिए विनिर्दिष्ट की गई है;
- (5) अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा के नवीकरण के लिए आवेदन छह मास के भीतर किंतु इस अविध की समाप्ति से तीन मास पूर्व किया जाएगा। ऐसा आवेदन, अनुज्ञा की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में मांग पत्र के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक ढंग में एक हजार रुपए का देय फीस होना चाहिए;
- 6) विधिमान्यता की अविध समाप्त होने के पश्चात् किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और अनुज्ञाधारक को नया आवेदन पत्र प्रस्तुत होगा;
- (7) उप- विनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए, आवेदन-पत्र मिलने पर और सभी अपेक्षाओं का अनुपालन होने के संबंध में समाधान होने पर, ब्यूरो ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अविध के भीतर प्ररूप-2 में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है;
- (8) जो अनुज्ञाधारक उस तारीख से पानी के हीटर के मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर लागू हुआ है, केवल प्ररूप 4 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;
- (9) यदि इलेक्ट्रिक पानी के हीटर के नए मॉडल की योजना संशोधित स्टार स्तर के साथ समक्रमण कर शुरू करने की है तो अनुज्ञाधारक को नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेगा और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर के लागू होने से छह मास पूर्व किया जाए;
- 8. लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञाधारक और व्यापारी और विक्रेता निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेगा, अर्थात:-
  - (क) पानी के हीटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार अधिसूचित पानी के हीटर के लिए ऊर्जा हानि मानकों के अनुरूप होंगे;
  - (ख) यह लेबल पानी के हीटर के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है;
  - (ग) लेबल को अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और पानी के हीटर पर चिपकाया जाएगा;
  - (घ) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि पानी के हीटर पर लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहेगा;
  - (ङ) अनुज्ञाधारक विनियम 9 में यथा: विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करेगा;
  - (च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को विशिष्टियां देय करेगा जिसमें लेबल लगे उपस्करों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भृत लेबलिंग फीस की

विशिष्टियां हो;अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल या उससे पहले अधिकृत वितरकों, व्यौहारियों और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची देगा;

- (छ) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता ऐसे अन्य निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा, मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की निर्देशिका में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों;
- 9. **लेबल फीस-** (1) प्रत्येक अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को इलेक्ट्रिक पानी के हीटर पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए दो रुपए की फीस का भुगतान करेगा।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक तौर पर संदत्त किया जाएगा:

परंतु यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस के भुगतान में चूक पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप से इस पर दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से इस पर ब्याज के साथ बकाया रकम वसूल करेगा औरयदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा लेबिलेंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता, ब्यूरो अनुज्ञाधारक को प्रदत्त सभी अनुज्ञा रद्द कर सकता है और अनुज्ञाधारक का नाम व्यतिक्रमी के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

- 10. लेबल जमानत फीस का प्रतिदाय:- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन, अनुज्ञाधारक इलेक्ट्रिक पानी के हीटर का विनिर्माण न करने पर लेबल जमानत फीस के प्रतिदाय का हकदार होगा।
- 11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- (1) ब्यूरो अथवा इसकी नामनिर्दिष्ट अभिकरण, स्वयमेव अथवा इसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि पानी के हीटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर और अन्य विशिष्टियों के अनुरूप है और कि यह अनुज्ञा के अन्य निबंधनों एवं शर्तों के अनुपालन में है।
- (2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो अथवा विनिर्माता सुविधा से इसकी नामनिर्दिष्ट अभिकरण, द्वारा जैसे वह उचित समझे, भांडागार अथवा फुटकर विक्रय केन्द्र से यादुच्छिक तौर नमुने एकत्र करेगा;
- (3) जहां उप- विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, ब्यूरो द्वारा जांच और अंशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा सम्यक प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में पानी के हीटर की जांच पर आक्षेप कर सत्यापन करना अपेक्षित है, वहां अनुज्ञाधारक को ऐसे परीक्षण के निष्पादन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता से ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन संबंधी खर्च और अन्य आकिस्मक व्यय, ऐसी समयाविध में जमा कराने की मांग की जाएगी जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की गई हो और यदि आक्षेप परीक्षण के अधीन लिए गए नमूने विफल रहते हैं, ब्यूरो को नमूने लेने, नमूने के परिवहन और जांच प्रभारों की लागत के लिए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञाधारक द्वारा की जाएगी और ब्यूरो उल्लिखित व्यय शिकायतकर्ता को प्रतिदाय करेगा और जहां उपस्कर आक्षेप परीक्षण पर पास हो जाते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय जब्त कर लिए जाएंगे;
- (4) जहां परीक्षण के लिए पानी के हीटर के नमूने स्वयमेव परीक्षण अथवा आक्षेप परीक्षण के दौरान परीक्षण में असफल रहते हैं, वहां अनुज्ञाधारक को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञाधारक की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त पानी के हीटर के दो गुने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा:
  - (5) जहां, दूसरा परीक्षण असफल होता है, ब्यूरो,-
    - (क) प्ररूप 5 में अनुज्ञाधारक को सभी राज्य नामोद्दिष्ट अभिकरणों को निदेश देगा कि प्ररूप 5 के जारी होने की तिथि से अनुज्ञाधारक दो मास की अवधि के अंदर करेगा;
    - विद्युत पानी के हीटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर सही करेगा अथवा परीक्षण के दौरान त्रुटियों और किमयों को दूर करेगा;

- ii. ब्यूरो के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और
- iii. विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टताएं में परिवर्तन करेगा:
  - (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए अभिहित अभिकरण के परिणामों की परीक्षा की तारीख से, दो मास के भीतर अनुज्ञाधारक का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम अथवा मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिर्देश किसी दैनिक राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक समाचारपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा जो वह ठीक समझें किसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा।
  - (ग) संबंधित राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरण को अधिनियम, की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के विरूद्ध न्यायनिर्णयन कार्रवाई करने के लिए संसुचित करेगा।
  - (6) अनुज्ञाधारक उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि समाप्त होने के दस दिन के भीतर,-
  - (क) ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और
  - (ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, इसे जारी निर्देशों का अनअनुपालन माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा इस प्रभाव के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
- (7) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने और उक्त उप-नियम के खंड (ख) के अधीन पारित आदेशों के प्रवितन के प्रयोजन के लिए सभी राज्य अभिहित को खंड (क) (ख) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उपविनियम (6) के खंड (ख) में जारी आदेशों की प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा;
- (8) जहां अनुज्ञाधारक, ब्यूरो द्वारा उप विनियम-(5) के तहत जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने मे असफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामोद्दिष्ट अभिकरणों को सूचना देते हुए –
  - (क) विनियम 7 के उप) विनियम-1) के तहत अनुज्ञाधारक को प्रदत्त सम्मति वापस ले लेगा;
- (ख) केन्द्रीय सरकार को, अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा हानि मानकों की अनुरूपता में अनुज्ञाधारक द्वारा विफलता की पृष्टि में परीक्षण रिपोर्ट के साथ, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए उप-विनियम (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट ब्यूरो की निर्देश रिपोर्ट भेजेगा।
- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर, किसी राष्ट्रीय या प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से जैसा ब्यूरो द्वारा ठीक समझे जाए, अनुज्ञाधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, संप्रतीक और अन्य विनिर्देशन प्रकाशित करेगा:
- (घ) संबंधित राज्य अभिहित अभिकरणों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के विरुद्ध आगे विधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सुचित करेगा।
- 12. **बनुज्ञा का रद्दकरण.-** ब्यूरो, विनियम 7 के अधीन प्रदत्त अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञाधारक –

विनियम 7 के तहत विनिर्दिष्ट किसी नियम और शर्त का पालन नहीं करता;

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों का अनुपालन नहीं करता;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय नहीं करता;
- (ग) विनियम 11 के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता।

#### प्ररूप 1

## [विनियम 6 के उप-विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर (देशी और समान उपयोग के लिए) के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के अधीन विद्युत पानी के हीटर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र

महानिदेश	शक					
ऊर्जा दक्ष	ता ब्यूरो					
चौथा तल	वंत्रालय, भारत सरकार) ग, सेवा भवन, 1, आर. के. पुरम					
नई दिल्ली	ਜੇ – 110 066					
भारत						
	मैं / हम		(व्यष्टिक या फर्म का	पूरा नाम)		_ की शैली के अधीन
 विनिर्मात	ा अथवा आयातक हूं / हैं जै	(कारबार का पूरा सा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	पता) व्यवसाय कर	ने के लिए विद्युत	भंडार किस्म के प	नी के हीटरों का/के
	्र (पानी के हीटर के लेबलों र प्रदर्शित करने / लगाने की	पर उनके संप्रदर्शन की			6 में ब्यूरो द्वारा वि	निर्दिष्ट है, पानी के
2.	विनिर्माण सुविधा: उपर	ोक्त उपस्कर भारत	में	(कंपनी का नाम)	द्वारा विनिर्मित ि	केया जाता है और
	(कारखाने का नाम	और पता) में विनिर्मित	किया जाता है या उ	परोक्त उपकरण भ	गारत के बाहर	(कारखाने
का नाम	और पता) द्वारा विनिर्मित	किया जाता है और भार	रत में	_ (कंपनी का नाम)	द्वारा बेचा जाता है	I
	ब्यौरे के उपाबंध: उपस्कर प्ररूप के उपाबंध में दिया ग । अथवा अन्य सदृश दस्तावे	या है। फर्म रजिस्ट्रार अ	थवा संस्थाओं/ उद्यो	ग निदेशक (लघु इव	<sub>,</sub> काइयों के मामले में)	द्वारा जारी निगमन
क) प्राधिकृत	प्राधिकृत व्यक्ति: है और वह इस आवेदन के र	 साथ निमित्त कराई गई	_ (नाम और पदनाम सूचना की सटीकता	) कंपनी/ फर्म आवि एवं अधिप्रमाणिकत	दे की ओर से यह अ ता के लिए उत्तरदार्य	ावेदन करने के लिए ोहोगा।
	संपर्क व्यक्ति: करने के लिए प्राधिकृत संपद		ाम और पदनाम) इस	ा आवेदन और लेब	ल के उपयोग के संव	ब्रंध में ब्यूरो के साथ
ग) का वचनव	मैं/हम उपरोक्त (क) अथ बंध देता हूं/ देते हैं।	वा (ख) में परिभाषित	प्राधिकृत व्यक्तियों मे	ां किसी परिवर्तन वे	के बारे में ब्यूरो को	तत्काल सूचित करने
4.	मानकों का अनुपालन: मैं/	हम (उपस्व	जर का नाम) के लिए	(अधि	सूचना का नाम) के	संबंध में अधिसूचना
में यथा:	विनिर्दिष्ट आईएस/अन्य (म	गानक का नाम और संग	ब्या)	_ के अनुसार क्वार्	लिटी प्रणाली/ अन्य	मानकों के संबंध में
	मानक ब्यूरो / अन्य अं प्रमाणपत्र की फोटोप्रति संल	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ा पालन करते हैं।	संगठन और/ अ	थवा उपरोक्त उप	करण के संबंध में
मैंने/हमने	, उपकरण की क्वालिटी	की निरंतरता सुनिश्चि	त करने के लिए अ	पनी आंतरिक प्रयो	ोगशाला	अथवा
एनएबीए	्ल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशा	ला (प्रयोग	शाला का नाम और प	यता) में परीक्षण के	लिए व्यवस्था कर	त्री है।

	_	
स्वतत्र	प्रयोगशाला	काब्योरा:

- क) प्रत्यायन की प्रास्थिति:
- ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन:
- 5. मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अनुसार, उक्त उपकरण के उत्पादन और बिक्री संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	उत्पादन	विक्री	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
सेतक अंतिम वर्ष			
से तक चालू वर्ष (प्राक्कलन)			

6. (क) मांग पत्र सं	तारीख	/ इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा दो हजार रुपए के आवेदन फीस और लागू सेवा
कर	का संदाय क	न्र <mark>दिया गया है</mark> ।
(ख) मांग पत्र सं संदाय कर दिया गया है।	तारीख	/ इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा एक लाख रुपए की लेबल प्रतिभूति जमा फीस का

- (ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दो रुपए प्रति लेबल के लेबलिंग फीस का भुगतान करने को सहमत हूं/हैं।
- (घ) लघु पैमाने के उद्योग (एसएसआई) प्रमाणपत्र संलग्न है, जो पच्चीस हजार रुपए के लेबल प्रतिभूति फीस के रूप में पात्रता सिद्ध करने के लिए है।
- 7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।
- 8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूं/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।
- 9. मैं/हम यह वचनबंध करता हूं/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख	(व	र्ष)
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	पदनाम	
	के लिए और उनकी ओर	से
	(फर्म का ना	म)

फर्म की मृहर

## उपाबंध

## (प्ररूप 1 का पैरा 3 देखें) सूचना के ब्यौरे

## 1. उत्पाद / उपस्कर के विवरण

## 1.1 सामान्य

उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड	
मॉडल का नाम / नंबर	
रेटेड क्षमता (लीटर)	
रेटेड इनपुट पावर (वॉट)	
विनिर्माण का वर्ष	
बी आई एस प्रमाणपत्र ब्यौरा (यदि कोई हों) (अनुज्ञप्ति/ प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
क्वालिटी प्रणाली प्रमाणपत्र विवरण (लाइसेंस / प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
स्थायी हानि (24 घंटे प्रति कि. वॉ. घं.)	

## 1.2 तकनीकी ब्यौरे

क्र. सं.	मॉडल का नाम/	मापे गए मान			घोषित मूल्य			टिप्पणियां		
	का नाम/ नंबर	क्षमता (लीटर)	इनपुट पावर (वॉट)	स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. / 24 घंटे)	स्टार लेबल या ऊर्जा दक्षता स्तर	रेटेड क्षमता (लीटर)	रेटेड इनपुट पावर (वॉट)	स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. / 24 घंटे)	स्टार लेबल या ऊर्जा दक्षता स्तर	

## 2. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं	
फैक्स नं.	
राज्य फोन नं. फैक्स नं. ई-मेल	
वेबसाइट	

3.	विनिम	णि प	रिस	र के	ब्यौरे

3. विनिमोण परिसर के ब्यौरे		
पता		
पिन कोड		
राज्य		
फोन नं.		
फैक्स नं.		
ई-मेल		
वेबसाइट		
अन्य कोई ब्यौरे		
4. जांच प्रयोगशाला के ब्यौरे		
जांच प्रयोगशाला का नाम		
प्रत्यायन प्रास्थिति		
(प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति सं	ांलग्न करें)	
प्रत्यायन का सत्यापन		
(समर्थन दस्तावेज संग्लन करें) पता		
7 (1)		
पिन कोड		
राज्य		
फोन नं.		
फैक्स नं.		
ई-मेल		
वेबसाइट		
प्रारंभ की तारीख		
बी ई ई के लिए प्रयुक्त लेबलों व	का नाम	
पहले वर्ष के लिए –		
दूसरे वर्ष के लिए 🗕		
तीसरे वर्ष के लिए -		
उत्पाद श्रृंखला सं.		से तक
6. भुगतान के ब्यौरे		
	कुल राशि	भुगतान के विवरण (डिमांड ड्राफ्ट के विवरण / इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के ब्यौरे)
आवेदन फीस प्रतिभूति निक्षेप		
तारीख		स्ताक्षर ।म

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

#### प्ररूप II

## [विनियम 7 के उप विनियम (7) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 के अधीन विद्युत पानी के हीटर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा / अनुमति का नवीकरण

	नई दिल्ली,
सेवा में,	
2016 के विनिय	र्ज्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, म 7 के उपबन्धों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको इस प्ररूप 2 के साथ अनुबंध में बताए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार अनुमति प्रदान करता है।
2. ਹ	ह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यधीन है —
	इलेक्ट्रिक पानी के हीटर के लेबल पर दर्शाया गया स्टार स्तर बीईई अनुसूची 10 में निर्दिष्ट तथा अधिसूचना तारीख में इलेक्ट्रिक भंडार किस्म के पानी के हीटर अधिसूचित ऊर्जा हानि मानकों और उल्लिखित विनियमों [गए नियमों व शर्तों को पूरा करता हो;
(ख)	लेबल विद्युत पानी के हीटर के उस मॉडल पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है;
(ग)	लेबल, अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और विद्युत पानी के हीटर पर चिपकाया जाएगा;
(ঘ)	अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत पानी के हीटर पर प्रदर्शित स्टार स्तर हमेशा बना रहेगा और यह कम से कम लेबल की विधिमान्यता या उनके रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता या लेबल की विधिमान्यता तक जारी रहेगा;
(ड.)	अनुज्ञाधारक प्रति लेबल दो रुपए फीस का संदाय करेगा;
(च)	अनुज्ञाधारक ब्यूरो को एक विवरण (हार्ड प्रति और एस एंड एल ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से) प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल धारक उपस्कर के उत्पादन और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत से तीस दिन की समय अवधि के अंदर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोद्भूत लेबलिंग फीस का विवरण होगा। यह विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी;
(छ)	अनुज्ञाधारक विद्युत पानी के हीटर के संबंध में अन्य विवरण, जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है, जैसे और जब भी
	ब्यूरो द्वारा मांगा जाता है, भी उपलब्ध करेगा।
3. यह	् अनुज्ञातक मान्य होगी और विनिर्देशों के अनुसार इसका नवीकरण
	। है। यदि अनुज्ञाधारक, अनुमति की विधिमान्यता अवधि के दौरान लेबल युक्त उत्पाद को बाजार से हटाना चाहता है, तो
ऊर्जा दक्षता ब्यूरं	ो से हटाए जाने वाले मॉडल के विषय में एक संप्रेषण किया जाएगा और इस संप्रेषण में पानी के हीटर की संख्या तथा इसे शामिल होने चाहिए।
4.	कर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उपकरण के लिए दी गई विशेष लेबल श्रृंखला है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार
यह लेबल पर स्प	ष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
5. उ	ाब कभी ब्यूरो द्वारा समीक्षाधीन स्टार स्तर योजना में आशोधन किया गया है, विद्युत पानी के हीटर का स्टार स्तर
निम्नानुसार उप	तिरित होगा:-
	(क) यदि संशोधित स्टार स्तर के सामंजस्य में नया मॉडल शुरू किया जाता है, ऐसी अनुमति के लिए ब्यूरो के पास
	उस तारीख से छह मास अग्रिम में आवेदन किया जाए जिस तारीख से नए स्टार स्तर लागू होंगे;
	(ख)  जहां परिवर्तित स्टार स्तर लागू करने के लिए मौजूदा मॉडल को जारी रखा जाता है, ब्यूरो के पास प्ररूप 4 में घोषणा ही प्रस्तुत की जाएगी।

6. ......तारीख .....मास.... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

## उपाबंध (प्ररूप 2 का पैरा 1 देखें) अनुमोदन के ब्यौरे

## 1. उपस्कर के ब्यौरे


उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड	
मॉडल का नाम / नंबर	
रेटेड क्षमता (लीटर)	
रेटेड इनपुट पावर (वॉट)	
विनिर्माण का वर्ष	

क्र. सं	. सं. मॉडल का नाम/			माप मूल्य			घोषित	ा मूल्य -		टिप्पणियां
	नंबर	क्षमता (लीटर)	इनपुट पावर (वॉट)	स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. / 24 घंटे)	स्टार लेबल या ऊर्जा दक्षता स्तर	रेटेड क्षमता (लीटर)	रेटेड इनपुट पावर (वॉट)	स्थायी हानि (कि. वॉ. घं./ 24 घंटे)	स्टार लेबल या ऊर्जा दक्षता स्तर	

## 2. लेबल के ब्यौरे

उपस्कर	
प्रकार	
विनिर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम / नंबर	
विनिर्माण का वर्ष	
रेटेड क्षमता (लीटर)	
रेटेड इनपुट पावर (वॉट)	
स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. /24 घंटे)	
स्टर लेवल	
लेबल की अवधि	

3. विद्युत पानी के हीटर पर लगाया जाने वाला बीईई द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है।



पत्र में दी गई विशिष्ट लेबल सीरीज कोड का उल्लेख विद्युत पानी के हीटर पर लगाए गए लेबल में किया जाता है।

l. लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली डिजाइन, आकार, रंग योजना, सामग्री और सामग्री अनुसूची 10, पुनरीक्षण 1 में निर्दिष्ट रूप में
यूरो के संप्रतीक में लेबल और रंग योजना का उल्लेख किया जाएगा।
πरीख
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

## प्ररूप 3 (विनियम 7 के उप नियम (2) और (3) देखें) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा रखे जाने वाले अनुज्ञाधारकों के रजिस्टर (टेम्पलेट)

क्र. सं.	आवेदन सं. और	अनुज्ञाधारकों	उपकरण के	स्टार लेबल	बी ई ई अनुमति	अवधि जिसमें अनुज्ञा
	अनुज्ञा की	का नाम और	ब्यौरे जिनकी	या दक्षता स्तर	संख्या और	प्रदान की गई है
	तारीख	विवरण (संपर्क	अनुमति प्रदान	की घोषणा	यूनिक लेबल	
		व्यक्ति, पता,	की गई है		ेश्रृंखला	
		पिन कोड,			_	
		राज्य, फोन सं.,				
		फैक्स नं., ई-				
		मेल, वेबसाइट)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(')	(=)	(3)	( ' '	(3)	(3)	(, )

लेबल प्रतिभूति निक्षेप की राशि	(रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख) से प्राप्त की लेबल प्रतिभूति जमा	प्राप्त आवेदन फीस का मूल्य	(रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तिथि:) से प्राप्त आवेदन शुल्क की राशि के विवरण
(8)	(9)	(10)	(11)

		प्रत्येक वित्तीय वर्ष (रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (ब्यौरे) : तारीख) के लिए प्राप्त विवरण के लेबलिंग फीस	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

#### प्ररूप 4

#### [विनियम 7 का उप- विनियम (8) देखें]

अनुज्ञाधारक द्वारा विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की मांग करते हुए घोषणा

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित अनुबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(लेबल के निगम निकाय / प्रयोक्ता के लेटर हैड पर)

तारीख:

सेवा में,
महा निदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर – 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066
भारत

विषय : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 के माध्यम......से लागू स्टार स्तर में परिवर्तन के संबंध में लेबल चिपकाने की अनुमित के लिए आवेदन-पत्र।

- 1. मैं/हम [ब्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] की शैली में [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में कारबार करने वाला/वाले विद्युत पानी के हीटर का/के विनिर्माता/ आयातक हूं/ हैं और एतद्द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (देशी तथा समान उपयोग के लिए 200 लीटर तक के विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और विशिष्टियां) विनियमन, 2016 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विद्युत पानी के हीटर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसमें............ से स्टार स्तर में पुनरीक्षण होगा।
- 2. उपरोक्त उपस्कर [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया गया है अथवा (आयातक का नाम और पता) से आयात किया गया है ।
- 3. मैं/हम विद्युत पानी के हीटर के लिए अधिसूचना सं.एस ओ ......... तारीख ......... को स्वीकार करते हैं। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्युरो के अनुमोदन की छायाप्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।
- 4. विद्युत पानी के हीटर के संबंध में बीईई लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की छायाप्रति संलग्न है।
- 5. स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपस्कर /मॉडल का ब्यौरा।

#### मॉडल का नाम -

विशिष्टियां		घोषित मान
रेटेड क्षमता (लीटर)		
रेटेड इनपुट पावर (वॉट)		
स्थायी हानि (कि. वॉ. घं. / 24 घंटे)		
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार लेवल के अनुसार)	(संशोधित स्टार लेवल के अनुसार)

- 6. मैं / हम संशोधित स्टार लेबल स्तर की आवश्यकता के अनुसार बीईई में जमा किए गए सभी दस्तावेजों में अपने स्टार लेबल में स्थायी हानि के विद्यमान स्तर को परिवर्तित करने को सहमत हूं/हैं।
- 7. मैंने उक्त इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकडे और लेबलिंग फीस जमा करा दिया है।
- 8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।
- 9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन करने और जांच को चुनौती देने के लिए नमूने का चयन करने पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है और इस संबंध में ब्यूरो के दिशा-निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।
- 10. मैं/हम यह वचनबंध देता हूं/ देते हैं कि इस आवेदन–पत्र में प्रदान की गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है, आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख:

दिन (वर्ष)
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मृहर

## **प्ररूप** 5

## [विनियम 11 का उप- विनियम (5) (क) देखें]

अनुज्ञाधारक को दूसरे नमूने के जांच परीक्षण में विफल रहने पर निदेश

	<del>2</del>		
नइ	ादल्ला,	ताराख	

सेवा में
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 के अनुसरण में विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करने की शर्त पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीखके पत्रांक के जरिए विद्युत पानी के हीटर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई थी।
2. ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016  के विनियम के अधीन आपके अधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी सेरपए की कीमत की
तारीख की बीजक संख्या के जरिए लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए बीईई स्टार के
लेबल वाला इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर खरीदा गया था। ये नमूने ब्यूरो द्वारा नियुक्त एजेंसी, मैसर्स द्वारा तारीख को उपरोक्त उल्लिखित विनियम के विनियम 3 के तहत लेबल, जो उल्लिखित खरीदे गए इलेक्ट्रिक पानी के हीटर पर आपके द्वारा चिपकाया गया था, खरीदे गए थे। इन नमूनों को मैसर्स से विशिष्ट पहचान श्रृंखला सं. मैसर्स का विधिवत मुहरबंद नमूना, मैसर्स(वितरक, व्यौहारी, खुदरा व्यापारी का नाम) से, सत्यापन अभिकरण के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित
प्राप्त किया गया था।
3. ब्यूरो ने अपनी उल्लिखित सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूना मैसर्स, एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला
को एस.ओ. संख्या तारीख के पैराग्राफ 3 और 4 में दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार, एस.ओ. संख्या तारीख
के अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए जांच करने के लिए भेजा था।
4. विशेष पहचान श्रृंखला संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने वाले इलेक्ट्रिक पानी के हीटर की स्थायी हानि (कि. वॉट घं. / 24 घं / 45° से.) को पूरा करने में विफल रहे और यह आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के संबंध में लेबल चिपकाने के लिए मांगी गई अनुमित के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्ररूप1 में आपके द्वारा मुहैया कराए गए जांच के ब्यौरे की पृष्टि नहीं करते। बीईई के तारीख के पत्रांक के जरिये जांच के परिणाम आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम में आपको भेज दिए गए थे। आपसे अनुरोध किया जाता था कि एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स
5. हमारी अधिकृत अभिकरण मैसर्स परीक्षण के जरिए तारीख दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के
लिए का. आ सं के पैरा 4 के अनुसार नमूने उठाकर हमारी अधिकृत अभिकरण मैसर्स द्वारा विधिवत मुहरबंद कर
एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे गए थे और सत्यापन एजेंसी के सम्यक अधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ  आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षराधीन सं प्राप्त उक्त नमूनों पर उत्कीर्ण विशेष पहचान श्रृंखला संख्या दी गई थी।
6. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम अधिकृत कार्मिक द्वारा जांच की गई है और जिनके संबंध में प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे जांच परीक्षण के साक्ष्य के तौर पर आपके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी सम्यक हस्ताक्षर किए गए हैं। जांच परिणामों से पुष्टि होती है कि ये एस.ओ. संख्या तारीख में दिए गए अपेक्षित मानदण्डों और

मानकों और आपको बाजार में विनिर्मित/आयातित एवं बिक्री किए गए इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर पर लगे लेबल पर दिए गए विवरण को दर्शाने के लिए आपको दी गई अनुमति के नियमों और शर्तों को पुरा नहीं करते।

- 7. अत:, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थिर भंडारकरण प्रकार के इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर पर लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टियां और रीति) विनियमन, 2016 के विनियम (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, ब्यूरो निदेश देता है:-
  - (i) इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें अथवा जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों और किमयों को दूर करें;
  - (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और
  - (iii) विज्ञापन की सामग्री में प्रदर्शित किए गए विशिष्टियों में परिवर्तन करें।
- 8. आपको निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर उल्लिखित सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें और दो मास की समाप्ति के बाद 10 दिन के भीतर अर्थात् ............... तक प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, ब्यूरो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थिर भंडारकरण प्रकार के इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर पर लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टियां और रीति)) विनियमन, 2016 के विनियम 11 के उप- विनियम (5) के खण्ड (ख) की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करेगा।
- 9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत भंडार किस्म के पानी के हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम 11 के उप-विनियम (4), (5), (6) और (7) की निबंधनों के अनुसार, मामले में और आगे कार्रवाई करेगा।

सचिव.

ऊर्जा दक्षता ब्युरो

#### संलग्नक:

- 1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
- 2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

## प्ररूप VI

(विनियम 11 के उप नियम (6) (क) देखें)

की गई कार्रवाई रिपोर्ट
(संगठन के शीर्शनामा पर प्रस्तुत करना)

सेवा में.			तिथि
सचिव			
ऊर्जा द	तता ब्यूरो		
(विद्युत	मंत्रालय, भारत सरकार)		
चौथा त	ल, सेवा भवन,		
सेक्टर -	· 1, आर. के. पुरम		
नई दिल	त्री – 110 066		
भारत			
	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्थिर भंडारकरण	प्रकार के इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर	<mark>पर लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टियां और रीति</mark> )
	विनियम, 2016 के विनियम 7	के उपबंधों के अनुसार, हमें मे	इलेक्ट्रिक
	वॉटर हीटर के विनिर्माता	की ऊर्जा की हा	ने मानक के अनुरूप बीईई पत्र सं
	तारीख के लि	ाए मॉडल संख्या द्व	रा स्टार लेवल के इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर पर
	लेबल लगाने की अनुमति दी गई		
	विनियम, 2016 (विद्युत भंडार किस्म	के पानी के हीटर के लेबलों पर उ	नके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) ऊर्जा दक्षता
	ब्यूरो के नियमन 11 के उप-विर्	नेयम (5) के उपबंधों के अनुसार, हः	न आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बीईई
		ख द्वारा निर्देश दिया गया। झारी ओर से निम्न गतिविधियों को	बीईई द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में, हम किया गया है।
	कार्रवार्ट का चिरेश	गारिशनि	की गर्द कार्रवार्द

	कार्रवाई का निदेश	प्रास्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के साथ	हां / नहीं / लागू नहीं	स्टार स्तर (तिथि) से प्रभावी
	इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के स्तर पर		स्टारसे स्टार
	प्रदर्शित सही स्टार स्तर		तक सही किया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ	हां / नहीं / लागू नहीं	बाजार से सभी स्टॉक को ब्यूरो के निर्देशों का
` ′	बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। और		पालन करने के साथ वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित ब्यौरे	हां / नहीं / लागू नहीं	हां / नहीं / लागू नहीं
. ,	बदलें।		

उपरोक्त दी गई घोषणा हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।


हस्ताक्षर नाम पदनाम के लिए और उनकी ओर से कंपनी का नाम / फर्म आदि फर्म / कंपनी की मुहर


## अनुसूची

(विनियम 3 के उप नियम (2) देखें)


इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के लेबलों पर प्रदर्शित किए विशिष्टियां

(1) नमूना लेबल





### (ii) रंग योजना :



(iii) बी ई ई लोगो की रंग योजना:

#### नीला –

ह्यू (H)-239° सेचुरेशन (S):64% ब्राइटनेस(B):59% ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L):28, क्रोमेटिक पुर्जें -a:24 b:54 लाल (R):54 हरा(G):55 नीला(B):151 सियान (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला(K):1% वेब कलर कोड - #363797

#### हरा -

ह्यू (H)- 150॰ सेचुरेशन (S): 10% ब्राइटनेस(B): 67% ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) : 61, क्रोमेटिक पुर्जें -a: 53 b:32

लाल (R): 0 हरा(G): 170 नीला(B): 87

सियान (C): 81% मैजेंटा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब कलर कोड - #00AA56;

#### (2). लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ (गत्ते या धातु का) होना चाहिए और इसमें टूट फूट से बचाव की विशेषता और अपने आप चिपकने वाला होना चाहिए। इसे उपस्कर की सतह पर अच्छी तरह चिपकाया जाए। लेबल की डिजाइन और आयाम इन विनियमों में बताए गए नमुना लेबल में से एक प्रकार का हो सकता है।

अजय माथूर, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन III/4/असा /185/307]

## THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the, 4th January, 2016

**No. BEE/S&L/Water Heater/3.**—The following draft of certain regulations, which the Bureau of Energy Efficiency, with the previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 and clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of this notification as published in the official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4<sup>th</sup> Floor, Sewa Bhavan, R.K.Puram, Sector-1, New Delhi-110066;

The objections or suggestions, if any, received from any person with respect to the said draft regulations within the period so specified shall be taken into consideration by the Bureau;

#### **Draft Regulation**

- **1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
  - 2. Definition. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);
  - (b) "Form" means a form appended to these regulations;
  - (c) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, Water Heater;
  - (d) "label period" means the validity period of the standing loss under energy consumption standard specified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act and in case the end period of the validity period of the standing loss is not specified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are specified by the Central Government;
  - (e) "models or family of models" means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, standing loss value, energy efficiency rating and performance characteristics;
  - (f) "permitee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;

- (g) "Star rating or star level" means the grade of standing loss (KWH/24Hr/45°C) displayed on the label of the electric storage water heaters notified under clause (a) of section 14 of the Act to denote the energy performance of water heater.
- (h) "trader or seller" in relation to any labeled water heater means a person who sells or distributes any such water heater and includes trader, manufacturer and permittee given permission to affix label on such water heater.
- (i) "water heater" means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act:
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.
- **3. Particulars to be displayed on the label.** (1) On every water heater the following particulars shall be displayed on its label, namely:-
  - (a) the Logo of Bureau of Energy Efficiency;
  - (b) equipment;
  - (c) brand name;
  - (d) model Name/number/year of manufacturing or import;
  - (e) rated capacity (Litre);
  - (f) rated input power (kW) (Actual Tested);
  - (g) standing loss (kWh/24 hr/ $45^{\circ}$ C);
  - (h) label period;
  - (i) star level; and
  - (j) unique series code.
- (2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.
- **4. Time limit for display of labels.—** (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every water heater within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.
- (2) On and from commencement of the energy performance standards under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee shall ensure that-
- (a) the stock of water heater available in the market with pre-revised label displaying the star level is fully exhausted or re-labeled or withdrawn from the market before the date of commencement;
- (b) the water heater put on sale shall also display revised star level and revised label period synchronizing with the higher energy consumption standards and introduce revised label period three months prior to such commencement;
- (c) all the preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of commencement under this regulations.
- (3) Where the permittee fails to ensure compliance of the provisions specified in clause (a) of sub-regulation (2), on account of market conditions beyond his control, and there are reasonable grounds to believe that the consumer would find it difficult to make a considered choice on the basis of standing loss between the electric water heater referred in clauses (a) and (b) of sub-regulation (2), the permittee, with the previous approval of the Bureau of Energy Efficiency shall display standing loss, referred to in clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 on the label in green colour as per design shown in the relevant Schedule to make a distinction between the stationary storage type electric water heaters referred to in clauses (a) and (b) of sub-regulation (2).
- **5. Manner of display of label.**—(1) The label shall be affixed at the front display of the unit and should be easily visible as referred in sub-regulation (2) of regulation 3 and the permittee shall ensure that the label appears on every registered unit or model on display for identification purpose, at point of sale or hire and the label shall also be printed or pasted to the exterior to the casing containing the unit or model.
- (2) For units not on display, the label may be printed or pasted to the exterior to the casing and this label may be attached to the unit or model when the unit or model is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.
- **6. Permission for display of label.—**(1) No star label shall be affixed on an electric water heater without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1) an application shall be made in Form-I and in electronic form:

Provided that separate application shall be made for each family of models of electric water heater.

- (3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by –
- (a) an application fee of rupees two thousand shall be payable by demand draft in favor of Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any acceptable electronic mode of payment;
- (b) a label Security fee of one lakh rupees payable by demand draft in favor of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi; or by any acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry label security fee will be only twenty -five thousand rupees; and

- (c) documents specified therein.
- **7. Grant of permission.**—(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to terms and conditions as are specified in regulation 8, permission for affixing label on water heater in Form II or in electronic form.
  - (2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of permittee therein.
  - (3) The Bureau shall also maintain a database in Form-III and enter the required details.
- (4) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the Star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 from time to time.
- (5) An application for renewal of permission shall be made by the permittee from six months but not later than three months before its expiry of permission and such application shall be accompanied by a fee of one thousand rupees payable in the form of demand draft or electronic mode in favor of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.
- (6) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall apply afresh for application.
- (7) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, shall renew permission in Form II.
- (8) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the electric water heater from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration as per Form IV.
- (9) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the electric water heater is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.
- **8. Terms and conditions for display of particulars on label.**—Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-
- (a) the star level displayed on the label of water heater shall conform to energy consumption standards for water heater notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
  - (b) the label shall be affixed only on such model of water heater for which permission has been granted;
  - (c) the label shall be printed and affixed on the water heater at the cost of the permittee;
- (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of water heater shall be maintained at all time;
  - (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorized distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labeled products on or before the 30<sup>th</sup> day of April of every year;
- (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labeling.

- **9. Label fee.**—(1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of two rupees on each label affixed on the electric water heater.
- (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, Bureau may cancel all labels granted to the Permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

#### 10. Refund of Label Security deposit.-

Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the Label Security Fee, on ceasing to manufacture of that particular model of electric water heater.

- **11. Verification by the Bureau.** (1) The Bureau of Energy Efficiency or its designated agency may, either *suo motu*, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the water heater conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission
- (2) For the purpose of verification, Bureau or its designated agency shall carry out randomized procurement of samples, from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.
- (3) Where upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification, by challenge testing the water heater in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau; and if sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and Bureau shall refund expenses to the complainant, the user of the label to the complainant; and where the sample passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.
- (4) Where samples of water heater used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of water heater used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) at the cost of the permittee.
- (5) Where the second test fails, the Bureau shall,-
  - (a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall within a period of two months from the date of issuance of Form V,-
    - (i) correct the star level displayed on the label of the electric water heater or remove the defects and deficiencies of the failed model, found during the verification conducted as per regulation 11;
    - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
    - (iii) change the particulars displayed on advertising material;
- (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit within two months from the date of receipt of test results from Bureau's designated agency
- (c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5),-
- (a) send the compliance report as per Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
- (b) where the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within aforesaid specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and necessary orders to that effect shall be passed by the Bureau.
- (7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 11 to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of Act and enforcement of the order passed under clause (b) of the said sub regulation.
- (8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-
  - (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

- (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;
- (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as deemed fit by the Bureau within two months of sending report to the central government as mentioned in clause (b);
- (d) intimate the concerned State Designated Agencies to initiate further legal proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- 12. Cancellation of permission.—The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee
  - (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
  - (b) fails to pay label fee in accordance with production data, within the period specified under regulation 9;
  - (c) fails to comply with the direction issued under regulation 11.

## FORM I [See Sub- regulation (2) of 6]

APPLICATION for permission to affix label on electric water heater under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater (for household and similar use) Regulations, 2016

THE DIRECTOR GENERAL BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY (MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA) 4<sup>TH</sup> FLOOR, SEWA BHAWAN, SECTOR – 1, R.K.PURAM NEW DELHI-110 066 INDIA.

Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016.  2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured in India by	I/ We are the manufacturers or importers of Stationary Storage Type Electric Water Heaters carrying or business at (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to display/affix label or
company) and is manufactured at	electric water heater as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016.
certification for the test products, labels and payment is given in Annexure to this Form. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises are enclosed.  a) Authorized Person:	company) and is manufactured at (Name and address of the factory) or the above equipment is
on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.  b) Contact Person: (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.  c) I/We undertake to immediately intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or	certification for the test products, labels and payment is given in Annexure to this Form. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar
coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.  c) I/We undertake to immediately intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or	on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied

Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in

respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard)

as specified in the Notification (name of the equipment). A copy of the Lice enclosed.			e Notification) for the zation and/or above equipment is
I/We have made arrangement for testing a laboratory (Name and address of the			
Independent Laboratory details: <ul><li>a) Accreditation status:</li><li>b) Bureau of Energy Efficiency approva</li></ul>	1:		
5. Production and sales figures of the se estimates are as follows:	aid equipment and the	e value thereof to t	he best of my/our knowledge and
Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from to			(205)
Current year from (estimate)			
6. (a) An application fee of rupees one the dated/ electro			has been paid by D.D. No.
(b) security deposit of one lakh/twenty five the D.D. No dated; / electronic m			has been paid by
(c) I/We agree to pay the labeling fee of rupees	s two per label as spec	ified by the Bureau	ı <b>.</b>
(d) Small Scale Industries (SSI) certificate is effee	enclosed to prove the	eligibility against t	wenty five thousand label security
7. I/We agree to abide by all the terms and operation to the bureau in case of any enquiry		by the Bureau and	d extend necessary assistance/co-
8. I/We authorize the Bureau of Energy Eff agree to abide by the directions of the Bureau in		of sample for verif	ication and challenge testing and
9. I/We undertake that the information supplied any of the information supplied be found to be			
	Dated this		Day of (Year)
			Signature
			Name
			Designation
			For and on behalf of
			(Name of the firm)
			SEAL OF FIRM

# Annexure [See para 3 of Form 1] Details of Information

1. 1.1 G	Prod Seneral	uct/Equipn	nent Detai	l						
Equi	pment and	d Type								
Bran	d									
Mode	el Name /	Number Number								
Rate	l Capacit	y (Litre)								
Rate	d Input Po	ower (Watt)	1							
Year	of manuf	facturing								
		details (if a	• /	cate)						
Quality System certificate details (Attach copy of the License / Certificate)										
Stand	ling Loss	(kWh per 2	24 hours)							
1.2 T	echnical	details								
Sl. No.	Model Name/	Measured Values					Declar	ed Values		Remarks
	No.	Capacity (litre)	Input power (Watt)	Standing Loss (kWh/24	Star Level or Energy Efficiency	Rated capacity (litre)	Rated input power	Standing Loss (kWh/24	Star Level or Energy Efficiency	

Level

(Watt)

hour)

Level,

hour)

## 2. Details of the Company

Any other details

Name of the Company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

Address

Pin Code
State
Phone No.
Fax No.
E-Mail
Web site

4. Details of Test La	aboratory		
Name of the test Laborator	у		
Accreditation status			
(Attach copy of the accredi	tation certificate)		
Validity of the accreditation	n		
(Attach supporting docume			
Address			
Pin Code			
State			
Phone No.			
Fax No.			
E-Mail			
Web site			
5. Labeling informa	ntion		
Date of commencement			
Number of labels applied for	or BEE		
for the first year -			
for the second year -			
for the third year - Product Serial No.		Enom	To
Product Serial No.		From	10
6. Payment details			
	Total Amount	Details of Payment (DD details)	
Application Eco		3333333	
Application Fee			
Security Deposit			
Date		Signatura	
Date			
			1
		For and on	behalf of
			(Name of the firm)
			SEAL OF FIRM

New Delhi, dated the .......

#### FORM II

## [See Sub- regulation (7) of 7]

Permission / Renewal of Permission to affix label on electric water heater under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016

То			
		play of	ant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency ( <b>Particulars and Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater</b> ) Regulations, 2016, the Bureau ffix label as per details of approvals set out in the Annexure to this Form II.
	2.	This p	permission is subject to—
		(a)	the star level displayed on the label of the electric water heater shall conform to energy consumption standards for stationary storage type electric water heater specified in BEE Schedule 10, and notification number dated;
		(b)	the label shall be affixed only on such model of electric water heater for which permission has been granted;
		(c)	the label shall be printed and affixed on the electric water heater at the cost of the permittee;
		(d)	the permittee shall ensure that the star level displayed on the electric water heater shall be maintained at least till the validity of the label or validity of their registration;
		(e)	the permittee shall pay the labeling fee of two rupees per label;
		(f)	the permittee shall furnish (in hard copy as well as through S&L online webportal) to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the labelling fee payable for each quarter within a period of thirty days of the close of that quarter of the financial year;
		(g)	the permittee shall make available such other details of electric water heater as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
	3.	prescr period	beermission shall be valid from
	4.		nique label series code assigned by BEE for the equipment is which should be clearly e on the label as per the approved design.
	5.		ever the star level plan is amended or modified by the Bureau, the star level of the electric water shall be modified as follows:-
			new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such ssion shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes force;
			here the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration as form IV shall be submitted to the Bureau.
	6.	Signed	d, sealed and dated this day of year.

(Secretary)

## Annexure [See para 1 of Form II] Details of Approvals

#### 1. **Details of the Equipment**


Equipment and Type
Brand
Model Name / Number
Rated capacity (litre)
Rated Input Power (Watt)
Year of manufacturing

Sl. No.	Model Name/ No.	Measured Values			Declared Values				Remarks	
		Capacity (litre)	Input power (Watt)	Standing Loss (kWh/24 hour)	Star Level or Energy Efficiency Level	Capacity (litre)	Input power (Watt)	Electricity consumption (Units/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

## 2. Label Details

Equipment	
Туре	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	
Year of manufacturing	
Rated capacity (Litre)	
Rated Input Power (Watt)	
Standing Loss (kWh/24 hr)	
Star level	
Label period	

3. Specimen of the label duly approved by BEE to be affixed on the electric water heater is shown below.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the electric water heater.

**4.** The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule 10, Revision 1.

Date		

Signature	•••••
Name	
Designation	
For and on behalf	of
	(Name of the firm)
	SEAL OF FIRM

# FORM III [See sub-regulations (2) and (3) of regulation 7] Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No.	Name and	Details of	Star level or	BEE permission	Period for which
	and Date of	details of the	equipment for	Efficiency	number and	the permission has
	Permission	permittee	which the	level declared	unique label	been granted
		(Contact	permission		series	
		Person,	has been			
		Address, Pin	granted			
		Code, State,				
		Phone No., Fax				
		No., E-mail,				
		Website)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label	Security Deposit received by	Amount of Application Fees	Details of Application Fee
Security Deposit	(Crossed Demand Draft	received	Amount received (Crossed
	(Details)/Electronic		Demand Draft
	transaction (Details): Date:)		(Details)/Electronic transaction
			(Details) : Date : )
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	_	Labeling fee details received for each financial year (Crossed Demand Draft (Details)/ Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

#### Form IV

[See sub-regulation (8) of regulation 7]

DECLARATION by Permittee for continuance to affix label on the existing model (For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure) (On the letter head of corporate body / User of Label)

Date

To
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016 on revision of star level effective from ........

- 2. The above equipment is manufactured by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER)
- 3. I/We hereby accept to the revision of star level as specified in the notification number S.O. ......... dated ........ for electric water heater. A copy of the BEE's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
- 4. A copy of the BEE Label (as per revision of star level change) in respect of the electric water heater is enclosed.
- 5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name -	

Particulars	Declared Values	
Rated Capacity (Litre)		
Rated Input Power (Watt)	Rated Input Power (Watt)	
Standing Loss (kWh/24 hr)		
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

- 6. I/We agree to change the existing level of standing loss in the star label as per the revised star level requirement in all the documents submitted to BEE.
- 7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said electric water heater.
- 8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 9. I/we will have no authority to object Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith. Date:

Day of	(Year)
Signature	
Name	
Designation	
For and on behalf	of
	(Name of the firm)
	SEAL OF FIRM

#### FORM V

[See sub-regulation (5) (a) of regulation 11] Direction to Permittee on failure of check testing of second sample

То	New Delhi, dated the
Label or	to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency ( <b>Particulars and Manner of display of Stationary Storage Type Electric Water Heater</b> ) Regulations, 2016, you were permitted to affix label on the water heater vide BEE letter Nodated subject to the compliance of the terms and conditions therein.
Stationar your auth carrying M/s Regulation duly sea M/s	tureau, under Regulation of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label or ry Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016, had purchased a BEE star labelled water heater from horised Distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs for the purpose of out the necessary tests to verify the particulars displayed on the label. The samples were purchased by, an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under on 3 of the aforesaid Regulations, affixed by you on the aforesaid purchased electric water heater. The sample led by M/s was given Unique Identification serial number for the chosen sample obtained from(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the fon Agency.
 paragrap	Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s, a NABL accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in hs 3 and 4 of S. O. numberdated the for giving Test Report in accordance with the Formgiven in the to S.O. number
the Test specified Applicat by you.' person.	Report indicated that the sampled water heater failed to meet the standing loss (kWh/24 hrs/45°C), standard volume capacity etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the ion submitted by you for seeking permission to affix label on the Electric Water Heater manufactured/imported The Test Results were sent to you vide BEE letter No datedin the name of your authorised Contact You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the NABL ed Laboratory M/s
dated th transport embosse	cample for second check verification test, were picked up in accordance with paragraph 4 of S.O. number  e through our authorised Agency M/sand transported to the NABL accredited Laboratory and the said sample obtained from
competer authorise paramete	est results are contained in Second Test Verification Report duly prepared checked and counter signed by the authorized personnel of the NABL Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your signatory as witness of 2 <sup>nd</sup> check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisiteers and standards given in S.O. number dated, and the terms and conditions of the permission given to display of particulars on label affixed to the Electric Water Heater manufactured/imported and sold in the market.
Energy 1	therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (4) of Regulation 11 of the Bureau of Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater) ons, 2016, the Bureau hereby directs to:-

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

correct the star level displayed on the label of the Electric Water Heater or remove the defects and

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

deficiencies found during testing;

(i)

- 9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (4), (5), (6) and (7) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016.

Secretary, Bureau of Energy Efficiency

#### **Enclosures:**

- 1. Test reports of the failed model
- 2. Correspondence with the manufacturer

#### Form VI

[See sub-regulation (6) (a) of regulation 11] Action Taken Report (To be furnished on Company's letter head)

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the electric water heater to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected fromstar tostar with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau, and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature Name Designation For and on behalf of..... Name of the Company/Firm etc. Seal of the Firm/Company.

#### **SCHEDULE**


[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on labels of electric water heater.


(1) Sample Label



#### (i) Dimension:



#### (ii) Color scheme:



#### (iii) Color scheme of BEE logo:

#### BLUE -

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

#### GREEN -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%

Luminance or lightness(L):61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

#### (2) Label Material

The label shall be durable (cardboard or metal) and possess good wear and tear characteristics and self-adhesive type. It should stick tightly on the appliance surface. The design and dimension of the label shall be as given for one of sample labels specified in these regulations.

AJAY MATHUR, Director General, Bureau of Energy Efficiency [ADVT. III/4/Exty./185/307]